

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जून, 2018-ज्येष्ठ 18, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

**BEFOR MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL, AT. DEESA
DISTRICT : BANASKANTHA, STATE OF GUJARAT**

M. A. C. P. No. 205/2011

Applicant :- 1. Arifkhan Muradkhan Khokhar
Re. Navapura, Old Deesa, Ta. Deesa,
Dist. Banaskantha (Gujarat).

Opponent :- 1. Mahmad Ismail S/o Mahmad Ibrahim
Re. 242 B, Chandan Nagar, Chanuvala Road,
Gali No.4, Dhar Road, Indore (M.P.).

Whereas, the named applicant have instituted a petition against opponents before this Tribunal to award compensation of Rs. 3,29,500/- under Section 163/a of Motor Vehicle Act, 1988. You are, therefore notice to appear in person or by a pleader/Advocate duly instructed and able to answer all material questions relating to the petition before me on Dt. 13/06/2018 at 10:30 A.M. to answer the claim and further you are directed to file on that day a written statment of your defense and to produse on the same day all the documents in your possession and power upon you base your defense.

Take notice that in default of your appearance on the aforesaid day, the petition will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and Seal of this Tribunal on 16th May, 2018.

Pre. By:
(A.N. MAHSKAR)
Assistant.

Choked By:
(I. N. GHASURA)
Supritendent.

(V. C. RAVAL)
Registrar.

(157-B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती नुपुर मराठे पति श्री नितिन मराठे, आयु वयस्क, निवासी 183, सेक्टर 2ए, साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.) विवाह पूर्व में मेरा नाम कामिनी शिधोरे पुत्री श्री विनायक राव था. मेरा नाम जहां कहीं भी कामिनी शिधोरे दर्ज है. उसके स्थान पर श्रीमती नुपुर मराठे पढ़ा, लिखा जावे.

पुराना नाम :
(कामिनी शिधोरे)
(108-बी.)

नया नाम :
(नुपुर मराठे)
पत्नी- श्री नितिन मराठे.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवा खुराना आ. श्री कमल सिंह खुराना, निवासी डोहर मोहल्ला गंज सीहोर मध्यप्रदेश, उम्र 30 वर्ष का निवासी हूँ और घोषणा करता हूँ कि मेरा पूर्व नाम शिवनारायण खरे था. परन्तु अपना नाम परिवर्तन के कारण अब मेरा नाम शिवा खुराना हो गया है. अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अब मुझे शिवा खुराना के नाम से ही जाना जावे एवं समस्त शासकीय, अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शिवा खुराना के नाम से ही इंगित किया जावे.

पुराना नाम :
(शिवनारायण खरे)
(158-बी.)

नया नाम :
(शिवा खुराना)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कश्मीर सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह था एवं समस्त दस्तावेजों, शासकीय, अंकसूची एवं सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कश्मीर सिंह है अब मैं अपना उपनाम (सरनेम) बदलकर कश्मीर सिंह जोहल पुत्र श्री मंगल सिंह कर दिया है. अतः अब मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(कश्मीर सिंह)
(159-बी.)

नया नाम :
(कश्मीर सिंह जोहल)
पता-जाहन्वी मारूती सर्विस सेंटर
वार्ड नं. 36, मेन रोड बगडोना, पाथाखेड़ा,
जिला-बैतूल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम बीजन मण्डलोई से परिवर्तित कर विजय मण्डलोई कर लिया है. अतः दोनों नाम ही मेरे हैं. अतः भविष्य में अब मुझे विजय मण्डलोई के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(बीजन मण्डलोई)
(160-बी.)

नया नाम :
(विजय मण्डलोई)
पिता-यशवंत मण्डलोई,
ग्राम-जुजाखेडी, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन.

उप-नाम परिवर्तन

मैं, यशश्री उर्फ किर्ति पति हितेश डोंगरे, निवासी मकान नंबर 189/2, वार्ड नंबर 1, महाजनापेट, बुरहानपुर मध्यप्रदेश मेरी पुत्री प्रिंसी शाह, उम्र 14 वर्ष, माता यशश्री उर्फ किर्ति पिता जयंत, निवासी मकान नंबर 189/2, वार्ड नंबर 1, महाजनापेट, बुरहानपुर मध्यप्रदेश का उपनाम जन्म प्रमाण-पत्रों में "मुंशी" लिखा गया है, परंतु मेरी पुत्री का उपनाम तथा सरनेम सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय एवं स्कूल रिकार्ड में "शाह" है तथा मेरी पुत्री उसी से जानी-पहचानी जाती है. इसलिए मेरी पुत्री प्रिंसी शाह पिता जयंत, माता यशश्री उर्फ किर्ति पढ़ा एवं समझा एवं लिखा एवं जाना जावें.

(161-बी.)

यशश्री उर्फ किर्ति

नाम परिवर्तन

मैं, सैयद ममनून हसन पुत्र स्व. श्री सैयद अहमद हसन, निवासी 9, तिजारन लेन, जिन्सी जहाँगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) होकर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम ममनून हसन पुत्र स्व. श्री अहमद हसन, निवासी 9, तिजारन लेन, जिन्सी जहाँगीराबाद, भोपाल के नाम से लिखा जाता था. अब मेरा परिवर्तित नाम सैयद ममनून हसन पुत्र स्व. श्री सैयद अहमद हसन, निवासी 9, तिजारन लेन, जिन्सी जहाँगीराबाद, भोपाल मध्यप्रदेश होकर यही परिवर्तित नाम मेरे वोटरकार्ड में भी अंकित है जो सत्य व सही है. अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जायेगा.

पुराना नाम :

(ममनून हसन)

(162-बी.)

नया नाम :

(सैयद ममनून हसन)

CHANGE OF NAME

The general is informed that in the past my name was Kala Sharma and in the present my name is Kusum Sharma W/o Radheshyam Sharma. So, I should be known and known by my new name Kusum Sharma W/o Radheshyam Sharma. My residence address is 363/2, Samajwad Nagar, Indore.

Old Name:

(KALA SHARMA)

(163-B.)

New Name :

(KUSUM SHARMA)

Add : 363/2, Samajwad Nagar,
Indore (M.P.).**नाम परिवर्तन**

मैं, शपथपूर्व कथन करती हूँ कि विवाह के पूर्व मेरा नाम जूली धर (Jooli Dhar) पुत्री स्व. श्री कमल कांत धर था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में भी अंकित है. दिनांक 11-12-1996 को मेरा विवाह देवाशीष कर (Debashish Kar) पुत्र श्री बीरेन्द्र नाथ कर से होने के उपरांत मेरा नाम जूली कर (Juli Kar) पत्नी श्री देवाशीष कर (Debashish Kar) लिखा जाता है. जो कि मेरे आधार कार्ड में अंकित है और अब मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ जो कि सही व सत्य है.

पुराना नाम :

(जूली धर)

(JOOLI DHAR)

(164-बी.)

नया नाम :

(जूली कर)

(JULI KAR)

277, न्यू कॉलोनी ब्लॉक-बी, हुरावली,
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का वर्तमान में नाम आकृति चांदिल, पिता का नाम प्रमोद कुमार चांदिल व माता का नाम पूजा चांदिल है यही नाम पुत्री की अंकसूची व जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित है.

यह कि अब मैंने अपना सरनेम परिवर्तन कर चांदिल के स्थान पर गुप्ता कर लिया है. सरनेम परिवर्तन के बाद पुत्री का नाम आकृति चांदिल के स्थान पर आकृति गुप्ता पिता का नाम प्रमोद कुमार चांदिल के स्थान पर प्रमोद गुप्ता एवं माता का नाम पूजा चांदिल के स्थान पर पूजा गुप्ता हो गया है.

यह कि सरनेम परिवर्तन के बाद मेरी पुत्री का नाम आकृति गुप्ता पिता का नाम प्रमोद कुमार गुप्ता व माता का नाम पूजा गुप्ता हो गया है. इसी नाम से वह भविष्य में जानी, पहचानी पुकारी जायेगी.

अतः भविष्य में मेरी पुत्री को सभी सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों में वास्तविक नाम आकृति गुप्ता, पिता का नाम प्रमोद कुमार गुप्ता व माता का नाम पूजा गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जावे.

सर्व-साधारण सूचित हो.

(165-बी.)

प्रमोद कुमार गुप्ता,पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता,
निवासी-मेवा वाली गली दीवान बिल्डिंग के पीछे,
दाना ओली, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मुन्नी बाई परमार पति शंकर लाल है किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम मनोरमा देवी (घरेलू नाम) लिखा गया है, जो कि मेरे किसी भी दस्तावेज में नहीं लिखा हुआ है, केवल मेरी शादी के कार्ड में ही लिखा था. अतः मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा सही नाम मुन्नी बाई परमार पति शंकर लाल ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(मनोरमा देवी)

पति शंकर लाल.

(175-बी.)

नया नाम :

(मुन्नी बाई परमार)

पति शंकर लाल,

गणेश नगर, घाटा बिल्लोद, धार (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ प्रार्थिनी श्रीमती राजकुमारी वर्मा के पति मुकेश कुमार वर्मा द्वारा एक एल. आई. सी. की पॉलिसी ली गई थी. जिसका पॉलिसी क्रमांक 203155894 है. मेरे पति का देहान्त 26-01-2018 को हो गया है. उपरोक्त पॉलिसी में मुझ प्रार्थिनी को नोमिनी के रूप में मेरा नाम श्रीमती हेमलता अंकित किया गया है. जबकि मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड व समग्र आई.डी. में मेरा नाम राजकुमारी वर्मा अंकित है. मुझ प्रार्थिनी को घर पर हेमलता के नाम से बुलाते थे. इस कारण मुझ प्रार्थिनी का नाम भूलवश उपरोक्त एल. आई. सी. की पॉलिसी में नोमिनी के रूप में हेमलता अंकित हो गया था. मैं, प्रार्थिनी श्रीमती हेमलता व श्रीमती राजकुमारी वर्मा मुझ प्रार्थिनी के ही नाम हैं तथा दोनों एक ही महिला है, जो कि मैं हूँ. भविष्य में मुझ प्रार्थिनी को श्रीमती राजकुमारी वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(हेमलता)

(177-बी.)

नया नाम :

(राजकुमारी वर्मा)

पति स्व. मुकेश कुमार वर्मा,
निवासी-66, बीडी कॉलोनी, श्रमिक शताब्दी
दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s M K CONSTRUCTION BUILDERS & DEVELOPERS" of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00244/2012 Dated 2012-2013 Date of Registration 14/09/2012 undergone the following changes:-

1. That Mrs. Kiran Dhurve W/o Shri Pramod Dhurve has joined the Partnership firm and Shri Krishna Prasad S/o Shri Doma Prasad is shown his desire to retire from the partnership firm w.e.f. 01-04-2018.
2. That "M/s M K CONSTRUCTION BUILDERS & DEVELOPERS" shall be continued to carry on the business of Partnership firm at D-102, Amra Estate, Kolar Road, Bhopal (M.P.) w.e.f. 01/04/2018.

M/s M K Construction Builders & Developers,
FOR-MAHENDRA DHURVE,
(Partner)

D-102, Amra Estate, Kolar Road,
Bhopal (M.P.).

(166-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आदिनाथ मोटर्स C/o स्टेशन रोड तिलकगंज, सागर जो दिनांक 19-01-2000 को निष्पादित कर पंजीकृत भागीदार फर्म है. जिसका पंजीयन क्र. एस एफ 107, सन् 2001 है. जिसमें निम्न भागीदार हैं.

1. श्री महेश कुमार मलैया पिता स्व. श्री बालचंद्र मलैया, निवासी स्टेशन रोड, तिलकगंज, सागर (म.प्र.).

2. श्री कपिल मलैया पिता श्री महेश कुमार मलैया, निवासी स्टेशन रोड, तिलकगंज, सागर (म.प्र.).
3. श्रीमति प्रीति मलैया पति श्री कपिल मलैया, निवासी स्टेशन रोड, तिलकगंज, सागर (म.प्र.).
4. श्रीमति सरोज मलैया पति श्री महेश कुमार मलैया, निवासी स्टेशन रोड, तिलकगंज, सागर (म.प्र.).
5. कु. आकांक्षा मलैया पुत्री श्री कपिल मलैया, निवासी स्टेशन रोड, तिलकगंज, सागर (म.प्र.).
6. श्रीमति शालिनी अभिजीत कोणेकर पति श्री अभिजीत विलास कोणेकर, निवासी अजमेरा ग्रीन एकड, कलेना कर्नाटक.
7. श्रीमति स्मिता घई पति श्री विवेक घई, साकिन गंगा सेटलाइट, पूना (महाराष्ट्र).

उपरोक्त फर्म आज दिनांक 12-04-2018 को समस्त भागीदारों की सहमति से भंग कर दी गई है.

आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो.

दुष्यन्त शर्मा,

(एडव्होकेट)

मकरोनिया, सागर.

(167-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म उत्कर्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्राम बंधाव, तहसील नागौद, जिला सतना मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 05/26/03/00053/09, दिनांक 12-08-2009 पंजीकृत फर्म में निम्न पार्टनर:- 1. अमित सिंह परिहार, 2. प्रवीण सिंह, 3. प्रमोद सिंह. जिसमें से दिनांक 03-04-2018 को श्री प्रमोद सिंह फर्म से पृथक् हो रहे हैं. जिनकी लेनदारियां और देनदारियां शेष नहीं हैं अगर किसी को आपत्ति है तो 10 दिन के अन्दर इस पते पर सूचित करें.

उत्कर्ष इन्फ्रास्ट्रक्चर,

अमित सिंह परिहार,

ग्राम-बंधाव, तहसील नागौद,

जिला सतना (म.प्र.).

(168-बी.)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my Client "M/s. Folklore Designs" - a partnership firm - is changing its name to "Koozagari Studio". Registered Address of the firm is also being changed from "G-1 Divya Homes, C-4/30 Civil Lines, Shamla Hills, Bhopal - 462002" to "Koozagari Studio, Shamla Kothi, Shamla Hills, Bhopal-462013". Erstwhile partner Ms. Sudha Rao W/o Late Mr. Ashok Rao, R/o D-62 Aaram Colony, Vakola, Santa Cruz (E) Mumbai, has retired from the firm and Mrs. Sonia Rashid W/o Mr. Nadir Rashid R/o Shamla Kothi, Shamla Hills, Bhopal has been inducted as the new partner.

Kindly contact the undersigned within 7 days from publication of this notice, in case of any queries/objections regarding the above.

ALANKAR SONI,

(Advocate)

E-2/63, Arera Colony, Bhopal.

(169-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स केशर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स स्थित 10, केशर बाग, रेसकोर्स रोड, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00008/11, दिनांक 27-04-2011 है. जिसमें दिनांक 31-03-2018 को भागीदार (1) विकास कुमार गंगवाल (H.U.F.) कर्ता, (2) विवेक कुमार गंगवाल (H.U.F.) कर्ता, (3) प्रशांत कुमार गंगवाल (H.U.F.) कर्ता तीनों भागीदार अपनी स्वेच्छा से फर्म से H.U.F. कर्ता की हैसियत से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 01-04-2018 को विकास कुमार गंगवाल पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार गंगवाल, निवासी गंगवाल भवन, फालका बाजार, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-केशर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स,

वीरेन्द्र कुमार गंगवाल,

(भागीदार)

ग्वालियर.

(170-बी.)

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that the partnership firm consisting of the partners namely Smt. Ritambhara Singh W/o Sh. Chandra Shekhar Singh Kushwaha, R/o 184, Sagar Evenue, Ayodhya By Pass, Bhopal (M.P.) and Smt. Harsha Chaturvedi W/o Abhinav Chaturvedi R/o 179, Indus Empire, E-8, Extension Trilanga, Near Sahapura Thana, Bhopal (M.P.). Carrying on business under the name and style as M/s Advance Care System, having its Registered Office situated at D-6, BDA Duplex. M.P. Nagar, Zone-, Bhopal (M.P.) which is registered with the Registrar of firm under Registration No. 01/01/01/0416/16 dated 10-02-2016 has been dissolved w.e.f. 05.04.2018 vide deed of Dissolution dated 05.04.2018. So it is hereby inform to general public from the date of execution of deed of dissolution dated 05.04.2018, the aforesaid M/s Advance Care System firm has been dissolved and from 05.04.2018. I am not responsible for any transaction made by Smt. Ritambhara Singh and or any person authorized by her with any third party on behalf of aforesaid dissolved firm and if any third party enters into any of the transaction than he himself would face the consequences and are undersigned will not be held liable for the same from 05.04.2018.

M/s Advance Care System,
HARSHA CHATURVEDI,
Sahapura Tiraha, Bhopal.

(171-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स हेमेश कुमार तिवारी, रघुनाथ नगर, लहार रोड, भिण्ड जिसका पंजीयन क्रमांक 02/43/07/00242/11, दिनांक 09-02-2011 है जिसमें दिनांक 09-09-2017 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 2 श्री डी. पी. एस. सेंगर पुत्र श्री जगन सिंह सेंगर, निवासी 433, सुरेश नगर थाटीपुर, ग्वालियर जो कि फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये है तथा इनके स्थान पर नवीन साझेदार के रूप में पक्षकार क्रमांक 2 श्री जीतेश कुमार तिवारी पुत्र श्री ब्रिजेन्द्र कुमार तिवारी आयु 40 वर्ष, निवासी 1112, वार्ड नं. 25 दुर्गा नगर, लहार रोड, जिला भिण्ड व पक्षकार क्रमांक 3 श्रीमती सुनीता तिवारी पत्नी श्री हेमेश कुमार तिवारी, आयु 41 वर्ष, निवासी 85, गायत्री विहार कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर जो कि नवीन साझेदार के शामिल हुए है. फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स हेमेश कुमार तिवारी,
जितेश कुमार तिवारी,
(पार्टनर).

(172-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री दुर्गा स्टोन क्रेशर, मुरैना स्थित गोपाल पुरा, मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/01/00120/09, दिनांक 12-10-2009 है. जिसमें दिनांक 14-05-2018 को भागीदारों के आपसी असमंजस्य होने से फर्म संचालित होने में कठिनाई हो रही है. इसलिये तीनों भागीदारों ने आम सहमति से एवं स्वविवेक व बिना किसी दबाव के फर्म को विघटन (समाप्त) करने का निर्णय लिया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स श्री दुर्गा स्टोन क्रेशर,
दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(भागीदार)
गोपालपुरा, मुरैना (म.प्र.).

(173-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अवन्तिका डेवलपर्स एक भागीदारी फर्म है, जिसका कार्यालय-101, मनी ट्रेड सेन्टर, शंकु मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन मध्यप्रदेश है. उक्त फर्म में से दिनांक 10-08-2015 को फर्म के भागीदार क्रमशः 1. श्री दिनेश भायल पिता श्री माधव भायल, निवासी-326, सेठी नगर, उज्जैन, 2. श्री ईश्वर पटेल पिता श्री जयरामदास पटेल, निवासी-22, पटेल कॉलोनी, अंकपात मार्ग, उज्जैन,

3. श्री चरणजीत सिंह कालरा पिता श्री गुरुवचन सिंह कालरा, निवासी-1, गुरुनानक मार्केट, फ्रीगंज, उज्जैन, 4. श्रीमती निशा राठी पिता श्री जितेन्द्र राठी, निवासी-14 क्षीरसागर कॉलोनी, उज्जैन, 5. श्रीमती चन्द्रकला बिन्दल पति श्री द्वारकादास बिन्दल, निवासी-2, इण्डस्ट्रीयल एरिया, नागझिरी, देवास रोड, उज्जैन, 6. श्रीमती मंजु सनमुखानी पति श्री अशोक सनमुखानी, निवासी अलखधाम नगर, उज्जैन, 7. श्री नलिन खण्डेलवाल पिता श्री सत्येन्द्र (सत्यनारायण) खण्डेलवाल, निवासी आगर रोड, उज्जैन, 8. श्री जितेन्द्र जैन पिता श्री राजमल जैन, निवासी-13, महिश्मती मार्ग, राखीपुरा, उज्जैन, 9. श्री धर्मेश जैन पिता श्री पवित्रकुमार जैन, निवासी-224, महाश्वेता नगर, उज्जैन, 10. श्रीमती सीमा वैद्य पति श्री उल्लास वैद्य, निवासी-सी/2, ऋशिनगर, उज्जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं, जिसके कारण अब इनका उक्त फर्म से फर्म के कारोबार से फर्म की लेनदारी-देनदारी से फर्म की समस्त चल व अचल सम्पत्ति से किसी भी प्रकार का कुछ भी लेना-देना शेष नहीं रहा है. साथ ही 1. श्री मोहम्मद शोएब पिता श्री शाहिद खान, निवासी हरिफाटक रोड, उज्जैन, 2. श्री मनोज जैन पिता श्री एम. एल. जैन, निवासी-15, अरिहंत परिसर, आगर रोड, उज्जैन, 3. श्री गौरव धाकड़ पिता श्री ज्ञानचंद धाकड़, निवासी-37, अरविन्द नगर, उज्जैन उक्त फर्म में नवीन भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं. जो सूचित हो.

Awantika Developers,
SAYED AAMIR ALI,
(Partner).

(174-बी.)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms " M/s RAGHAV INFRA DEVELOPERS " C/O Manish Shivhare , Mama pan bali Gali , Kamlaganj , Shivpuri (M.P.) Vide Registration No. 02/41/01/0155/15, dated 17-11-2015 has been undergone for dissolution w.e.f 30.03.2018 All please be informed.

" M/s. RAGHAV INFRA DEVELOPERS "
MANISH SHIVHARE,
(Partner).

(176-B.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 07 अप्रैल, 2018

क्र./दु.स्था./2018/227.—क्रमांक 02/2018 लॉजी नगर परिषद, जिला बालाघाट के समस्त व्यवसायियों की सहमति अनुसार दुकानों एवं वाणज्यिक स्थापनाओं को बंद करने हेतु एतद्द्वारा साप्ताहिक अवकाश दिवस शुक्रवार घोषित किया जाता है.

जे. एस. उद्दे,
श्रम पदाधिकारी.

(632)

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 30 मई, 2018

अल्पावधि निविदा सूचना

क्र. जी. बी.चार/पेपर(1)2017-18/1418.—ऑनलाईन बिडिंग <https://www.mpeproc.gov.in> पर ई-टेंडर से तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा दिनांक 12 जून, 2018 अपरान्ह 02.00 बजे तक की-डेट्स भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रिंटिंग पेपर क्रय हेतु निर्माता मिल/अधिकृत डीलर/अधिकृत एजेंट से आमंत्रित की जाती हैं.

2. टेंडर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर भी रखा गया है.

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्ड कॉपी एवं नमूनें सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा. ऑनलाईन निविदा एवं हार्ड कॉपी दिनांक 12 जून, 2018 अपरान्ह 04.00 बजे की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी.

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी.

(630)

Bhopal, Dated 30th May, 2018**SHORT TENDER NOTICE**

No. GB-IV-Paper/(1)2018-19/1418.- 1. ONLINE Bidding go through IT Department Portal <https://www.mpeproc.gov.in> and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited on or before 2.00 PM on 12th June, 2018 as per Key Dates for the Purchase of various types of Printing Papers from manufacturing mills or their authorized dealers can participate.

2. Tender Document and agreement details of tender are available at website www.govtpressmp.nic.in
3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealed) must be received at the Office of the undersigned as per key dates. Envelope 'A' Hard Copy of Technical Tender will be opened ONLINE on or before 4.00 PM on 12th June, 2018 and as per key dates in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.
4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on <https://mpeproc.gov.in>

RAJESH KOUL,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(630-A)

न्यायालयों की सूचनाएं**न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर****फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री जोन स्वामी पिता एन्थोनी स्वामी आदि, निवासी-2, बी पुष्प नगर, खजराना रोड, इन्दौर के द्वारा Indore East Congregation of Jehovah's Witnesses Religious Trust कार्यालय का पता-2, बी, पुष्प नगर, खजराना रोड, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	Indore East Congregation of Jehovah's Witnesses Religious Trust.
कार्यालय का पता	:	2, बी पुष्प नगर, खजराना रोड, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 2,000 से न्यास का संचालन किया जा रहा है।

आज दिनांक 09 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(620)

शाश्वत शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग राऊ, जिला इन्दौर**फार्म-चार**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्रीमती विद्यादेवी पंचोली पति स्व. श्री डॉ. मोहनलाल पंचोली, पता-28, प्रभु नगर अन्नपूर्णा रोड़, इन्दौर द्वारा डॉ. मोहनलाल पंचोली मेमोरियल ट्रस्ट, कार्यालय पता-28, प्रभु नगर अन्नपूर्णा रोड़, इन्दौर मध्यप्रदेश का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	डॉ. मोहनलाल पंचोली मेमोरियल ट्रस्ट.
कार्यालय पता	:	28, प्रभु नगर अन्नपूर्णा रोड़, इन्दौर.
चल-अचल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में 10,000/-रु. (दस हजार रुपये मात्र) तथा न्यास की अचल सम्पत्ति निरंक है.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

बिहारी सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(631)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी परगना ब्यावरा, जिला राजगढ़

प्र.क्र./1/सी-113(1)/2017-18.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला राजगढ़ के समक्ष.

यह कि आवेदक गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज ब्यावरा ट्रस्ट का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, की धारा 4-5 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन श्री जितेन्द्र जोशी ब्यावरा द्वारा पेश किया. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र 09 जुलाई, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	“गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज ब्यावरा”.
चल सम्पत्ति	:	100 स्टील ग्लास, 4 पीतल के भगोने, 5 पर्श, 4 लोहे की बाल्टी, 2 कढ़ाई.
अचल सम्पत्ति	:	कस्वा ब्यावरा में भूमि खाता नं. 506 सर्वे नं. 984, 985, 987 किता 3 रकबा 0.176 हेक्टर भूमि तथा उस पर 8000 वर्गफुट पर निर्माणाधीन महर्षि गौतम मांगलिक भवन.

स्थान:-ब्यावरा

दिनांक: 05-05-2018

अंजली शाह,

अनुविभागीय अधिकारी.

(621)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बण्डा, जिला सागर

बण्डा, दिनांक 02 मई, 2018

प्र.क्र./बी-113(1)/वर्ष 2015-16.

मौजा-बण्डा, तहसील बण्डा.

1. गुलाब पिता भरोसे विश्वकर्मा,
निवासी बण्डा, जिला सागर.

.....आवेदक

विरुद्ध

2. मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

क्र./क/Q/रीडर-1/2017—सर्व-साधारण को इशतहार के जरिये सूचित किया जाता है कि मौजा बण्डा प. ह.नं. 43, तहसील-बण्डा, जिला सागर में स्थित श्री श्री 108 श्री देव विश्वकर्मा जी मंदिर मुह. खूबचंद व. काशीराम, निवासी चंदोख, तहसील बण्डा के नाम खसरा नं. 443/37, 448/38, 448/44 रकबा कुल 0.012 हे. दर्ज है. आवेदक गुलाब पिता भरोसे विश्वकर्मा, निवासी बण्डा द्वारा पूर्व मुहत्तमकार खूबचंद पिता काशीराम, निवासी चंदोख, तहसील बण्डा की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा गुलाब पिता भरोसे विश्वकर्मा, निवासी बण्डा को मुहत्तमकार दर्ज किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

आवेदन पर तहसीलदार, बण्डा से प्रतिवेदन लिया गया उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिनांक 15 फरवरी, 2018 में लेख किया है कि आवेदक को मंदिर व्यवस्थापक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

अतः आवेदक गुलाब पिता भरोसे विश्वकर्मा, निवासी बण्डा को मुहत्तमकार नियुक्त किए जाने में जिस किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 20 जून, 2018 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा.

इशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 02 मई, 2018

पेशी दिनांक 20 जून, 2018

(622)

बण्डा, दिनांक 18 मई, 2018

प्र.क्र./बी-113/वर्ष 2017-18.

मौजा-बण्डा, तहसील बण्डा.

1. महेन्द्र कुमार पिता नाथूराम (सिंघई) जैन
निवासी बण्डा, जिला सागर.

.....आवेदक

विरुद्ध

2. मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

क्र./क/ /रीडर-1/2018.—सर्व-साधारण को इशतहार के जरिये सूचित किया जाता है कि मौजा भडराना प. ह. नं. 72 तहसील-बण्डा, जिला सागर में स्थित श्री देव पारसनाथ जी मंदिर मुह. नाथूराम पिता हजारीलाल, निवासी भडराना, तहसील बण्डा प्रबन्धक कलेक्टर महोदय, सागर के नाम मौजा भडराना स्थित भूमि खसरा नं. 532, 534, 95, 541 रकबा कुल 0.82, 1.77, 0.32, 0.49 हे. दर्ज है. मुहत्तमकार नाथूराम पिता हजारीलाल के फौत हो जाने के कारण आवेदक महेन्द्रकुमार पिता नाथूराम सा. भडराना द्वारा भडराना स्थित भूमि खसरा नं. 532, 534, 95, 541 रकबा कुल 0.82, 1.77, 0.32, 0.49 हे. पर पूर्व मुह. के स्थान पर महेन्द्रकुमार पिता नाथूराम सा. भडराना प्रबन्धक कलेक्टर महोदय सागर का नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

आवेदन पर तहसीलदार, बण्डा से प्रतिवेदन लिया गया उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिनांक 15 फरवरी, 2018 में लेख किया है कि आवेदक को मंदिर व्यवस्थापक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

अतः आवेदक महेन्द्रकुमार पिता नाथूराम सा. भडराना को मुहत्तमकार नियुक्त किए जाने में जिस किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 20 जून, 2018 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा.

इशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 18 मई, 2018

पेशी दिनांक 20 जून, 2018

(623)

बी.बी.पाण्डेय,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	पशुधन उर्जा उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1910	871/09-04-2018
2.	मंगलम औषधी क्रय-विक्रय उद्योग सह. समिति मर्या., जबलपुर	1714	862/09-04-2018
3.	शाहीन स्टील उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	206	863/09-04-2018
4.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	478	864/09-04-2018
5.	जवाहरलाल नेहरु कृषि वि. वि. कर्म साख सहकारी समिति, जबलपुर	353	3482/16-11-2017
6.	अ. जाति/जनजाति खनिज उत्ख. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1743	3483/16-11-2017
7.	श्री साईं बहुउद्देशीय प्राथ. सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	2034	3479/16-11-2017

अतः मैं, सुनीत कुमार नेमा, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(602) सुनीत कुमार नेमा,
उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	जयहिन्द मछुआ सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	471	3655/19-12-2017

अतः मैं, राजेन्द्र यादव, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जबलपुर एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

राजेन्द्र यादव,

(603)

सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपपंज/परि./2018/813.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपपंज/परि./1314, दिनांक 09 जून, 2017 के द्वारा सौरभ उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या, जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1073 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश कुमार मेहता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सौरभ उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या, जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1073 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(604)

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपपंज/परि./2018/814.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपपंज/परि./2967, दिनांक 19 जुलाई, 2017 के द्वारा आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या, तिखारी, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1914 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश कुमार मेहता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदिवासी महिला

बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तिखारी, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1914 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(605)

जबलपुर, दिनांक 01 मई, 2018

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/505, दिनांक 27 फरवरी, 2018 के द्वारा रविन्द्र प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर पं. क्र. 1082 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री विवेक जैन, सह. निरी. द्वारा संस्था को परिसमापन से मुक्त करने हेतु अनुशांसा की गई है तथा संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 23 मार्च, 2018 में संस्था को पुनर्जीवित करने हुए प्रस्ताव पारित कर आवेदन प्रस्तुत किया गया जो उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.एफ-5-2-2010-15-1, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत रविन्द्र प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर पं. क्र. 1082 को परिसमापन से मुक्त करता हूँ.

संस्था के सामान्य कामकाज को निपटाने एवं विधिवत निर्वाचन कराए जाने के पूर्व तक कार्य करने के लिए निम्नलिखित कमेटी बनाई जाती है.

1. श्रीमती जाहिदा बेगम	अध्यक्ष	7. श्रीमती मदीना	संचालक
2. श्री मंजूर अहमद	उपाध्यक्ष	8. श्री जूलेखा बी	संचालक
3. श्री महमूद	उपाध्यक्ष	9. श्री अतहर	संचालक
4. श्री कबीर अहमद	संचालक	10. श्री कालूराम	संचालक
5. श्री मोहम्मद अनीस	संचालक	11. श्री गंगा बाई	संचालक
6. श्रीमती तसलीम बानो	संचालक		

यह आदेश आज दिनांक 01 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा के सहित जारी किया गया.

जी. पी. प्रजापति,

उप-पंजीयक.

(606)

कार्यालय परिसमापक ग्रा. वि. स. स. मर्या., लौड़ी, जिला छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57 (सी) अन्तर्गत]

क्रमांक/परि./1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छतरपुर द्वारा निम्न समितियों को निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

समितियां निम्न प्रकार हैं-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्या., लौड़ी	452/23-03-1982	परिसमापन/16/1285/15-06-2016

अतः पी. एस. राजपूत कार्यापालन अभियंता एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के उपनियम-57 (सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्रों के मुझे लिखित रूप में कार्यपालन अभियंता कार्या. अधीक्षण अभियंता (सं./सं.) वृत्त सटई रोड, छतरपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयवाधि में दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेंगे.

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, छतरपुर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 09 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(607)

पी. एस. राजपूत,
परिसमापक एवं कार्यपालन अभियंता.

कार्यालय परिसमापक एवं सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला राजगढ़

राजगढ़, दिनांक 15 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017-18/क्यु 1.—सर्व-साधारण एवं सदस्यों की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला राजगढ़ के आदेश क्र./परि./743/22-02-2018 महाकाल मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या कलां पंजीयन क्रमांक 1140/दिनांक 17 अगस्त, 2009 राजगढ़, जिसका मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महाकाल मछुआ सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या कलां	1140/17-08-2009	743/22-02-2018

अतः मैं, एन. एस. दण्डोतिया, मत्स्य निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वरूप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकॉर्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर उपरोक्त समिति के रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 15 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(608)

एन. एस. दण्डोतिया,
परिसमापक एवं मत्स्य निरीक्षक.

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 09 मई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डोलरिया.
तहसील डोलरिया

एतद् सूचना-पत्र द्वारा अपकों सूचित किया जाता है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डोलरिया के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला होशंगाबाद द्वारा श्री दिनेश भालेकर, उप-अंकेक्षक

को संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक के पत्र क्रमांक 89, दिनांक 06 जनवरी, 2018 द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी है तथा संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को बंद करने एवं परिसमापन में लाने का आवेदन-पत्र दिया गया है. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था सदस्यों द्वारा पत्र लिखा गया है कि संस्था अकार्यशील है तथा निर्वाचन कार्य करवाना संभव नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावें.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालनक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तवित कार्यवाही से सहमत है संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 9 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(624)

होशंगाबाद, दिनांक 09 मई, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेमलाकलां,

तहसील सिवनीमालवा.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेमलाकलां के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची में अंतिम रूप देने के लिए श्री बी. के. शर्मा, को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था. संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है. इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावें. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था अध्यक्ष द्वारा पत्र लिखा गया है कि संस्था अकार्यशील है तथा निर्वाचन कार्य करवाना संभव नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावें.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालनक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तवित कार्यवाही से सहमत है संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 9 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अखिलेश कुमार निगम,

डिप्टी रजिस्ट्रार.

(625)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 11 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1109.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3071, दिनांक 23 नवम्बर, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बागंला जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एल. बागोरा, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(626)

उज्जैन, दिनांक 11 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1110.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 915, दिनांक 15 मार्च, 2017 द्वारा दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पालखेड़ी जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रदीप नाहरा, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(627)

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जून, 2018-ज्येष्ठ 18, शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017

- 1. मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
- 2. जुताई.**— जिला श्योपुर, दतिया, छतरपुर, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, धार, खरगोन, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला में कहीं-कहीं जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. बोनी.**— जिला दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, खरगोन, बड़वानी, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी व बालाघाट में बोनी कार्य कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. फसल स्थिति.**— . .
- 5. कटाई.**— जिला सिवनी में तुअर एवं दमोह, डिण्डोरी में खरीफ फसलों की कटाई कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 6. सिंचाई.**— जिला मुर्ना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, बड़वानी, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा व जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 7. पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
- 8. चारा.**— राज्य के जिला शिवपुरी में चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पशुओं के लिये चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 9. बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 10. खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) बाजरा तुअर -कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मैथी, मसूर, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. गोरमी 8. मौ 9. रौन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना अधिक. सरसों कम. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनिया, मसूर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) अरहर, चना, मटर, गेहूँ राई-सरसों, कम,	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) धान, तिल, अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. लवकुश नगर	. .				
10. धुवारा	. .				
11. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी प्रारम्भ.	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .				
2. पन्ना	. .				
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी की बोनी चालू.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	. .				
2. खुरई	. .				
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी फसल की बोनी कार्य चालू. खरीफ की कटाई चालू.	3. . . 4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी, जौ, राई-सरसों, तिवड़ा, सुधरी. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	. .				
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, अलसी, जौ, समान. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .				
2. मझगावां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों-कम. चना, मसूर, अलसी, तुअर अधिक. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .				
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगावां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, तिल अधिक. कोदों, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .				
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) तुअर, राई, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .				
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) धान, ज्वार-कम. कोदों, कुटकी, मूँग-मोठ समान. मक्का, उड़द, अरहर, तिल अधिक. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .				
2. पाली	. .				
3. चँदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू रबी की बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) अलसी, चना, मसूर, जौ-समान. राई-सरसों, गेहूँ-कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .				
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू	3. . . 4. (1) राहर, गेहूँ कम. अलसी, राई-सरसों समान. चना, जौ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .				
2. देवसर	. .				
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना असमान. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .				
2. भानपुरा	. .				
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4.(1) गेहूँ, मटर कम. चना, मसूर अधिक. राई, सरसों-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..					
3. सिंगौली	..					
4. जीरन	..					
5. रामपुर	..					
6. मनासा	..					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4.(1) गेहूँ कम. चना, रावा. (2) उपरोक्त फसलें सामान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..					
3. सैलाना	..					
4. बाजना	..					
5. ताल	..					
6. रावटी	..					
7. पिपलोदा	..					
8. रतलाम	..					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4.(1) गेहूँ, चना, मसूर, आलू, प्याज, लहसुन समान. (2) उपरोक्त फसलें सामान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..					
3. तराना	..					
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	..					
6. बड़नगर	..					
7. नागदा	..					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..			4.(1) गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..					
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	..			4.(1) तुअर, चना-अधिक. गेहूँ, लहसुन प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..					
3. शुजालपुर	..					
4. कालापीपल	..					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतीपुर बड़ोदिया	..					
7. गुलाना	..					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4.(1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, तिल -अधिक. सोयाबीन, कपास, मूँगफली कम. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..					
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. हाटपिपल्या	..					
7. सतवास	..					
8. उदयनगर	..					
9. खातेगांव	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, कपास, मूँगफली अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) ज्वार, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		मक्का, कपास, गन्ना कम.		
3. धार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूँगफली कम.		
3. सेगांव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी कार्य प्रारम्भ.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का, अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		ज्वार, कपास कम.		
3. राजकोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..			4. (1) गेहूँ, तुअर कम. चना, मटर अधिक.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..			(2) गेहूँ, चना समान.			
3. खालवा	..						
4. पंधाना	..						
5. हरसूद	..						
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..			4.(1) तुअर कम कपास.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.			
3. नेपानगर	..						
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..			4. (1) गेहूँ, चना अधिक.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..			(2) ..			
3. खिलचीपुर	..						
4. ब्यावरा	..						
5. सारंगपुर	..						
6. पचोर	..						
7. नरसिंहगढ़	..						
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..			4. (1) गेहूँ, चना.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.			
3. कुरवाई	..						
4. बासोदा	..						
5. नटेरन	..						
6. विदिशा	..						
7. गुलाबगंज	..						
8. समसाबाद	..						
9. त्योंदा	..						
10. पठारी	..						
11. ग्यारसपुर	..						
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..			4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैराढ	..			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.			
3. हुजूर	..						
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..			4. (1) चना, मसूर-अधिक. तुअर, गेहूँ-कम.		6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..			गन्ना समान.			
3. इच्छावर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.			
4. नसरूल्लागंज	..						
5. रेहटी	..						
6. श्यामपुर	..						
7. जावर	..						
8. बुधनी	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) गोहूँ, चना, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		लाख, अलसी, राई-सरसों,		
4. गोहरगंज	. .		सामान्य.		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) गोहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .		(अधिक)		
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) गोहूँ, तुअर-कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		चना, मटर, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		गन्ना अधिक.		
4. इटारसी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गोहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		चना अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गोहूँ चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		मसूर, कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .		मटर अधिक.		
4. पाटन	. .		(2) गोहूँ, सुधरी शेष फसलें		
5. मझौली	. .		बिगड़ी हुई.		
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, मूँग कम. गन्ना समान. सोयाबीन, धान, उड़द अधिक. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .				
2. गोटेगांव	. .				
3. करेली	. .				
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	. .				
2. नैनपुर	. .				
3. बिछिया	. .				
4. निवास	. .				
5. नारायणगंज	. .				
6. घुघरी	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों का कटाई कार्य चालू है.	3. . . 4.(1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी,लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .				
2. शाहपुरा	. .				
3. बजाग	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .				
2. तामिया	. .				
3. परासिया	. .				
4. जुन्नारदेव (जामई)	. .				
5. सांसर	. .				
6. बिछुआ	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. उमरेठ	. .				
10. मोहखेड	. .				
11. हरई	. .				
12. चांद	. .				
13. पाहुणा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी कार्य चालू तुअर की कटाई चालू.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, कोदों, मूँग, तिल, रामतिल, अम्बाड़ी कम. ज्वार, समा, तुअर, उड़द, सोया. अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .				
2. बरघाट	. .				
3. कुरई	. .				
4. कवलारी	. .				
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	. .				
7. घनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) धान समान. (2) उपरोक्त फसल सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .				
2. लांजी	. .				
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्गा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलांजी	. .				

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.